बिहार विधायिका सभा का वादवृत्त

सोमवार, तिथि ५ दिसम्बर १९४९

भारत शासन विधान, १९३५, के प्रावधान के अनुसार एकत्र विधायिका सभा का कार्य विवरण।

सभा की बैठक पटने के सभावेश्म में सोमवार, तिथि ५ दिसम्बर १९४९ को ११-१० बजे पूर्वान्ह में, माननीय प्रमुख श्री सिन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा, के सभापतित्व में हुई।

अल्प सूचना प्रश्नोत्तर

डालमिया नगर के स्टाफ को वोनस देने का फैसला

४ श्रीजगन्नाथ सिंह : क्या माननीय श्रम मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि।

(क) क्या सरकार को मालूम है कि २० तथा २२ अक्टूबर १९४९ के गजट में डालमियानगर के स्टाफ के लोगों को मंहगी एवं वोनस देने के संबन्ध में औधोगिक निर्णायक (adjudicator) का फैसला प्रकाशित हो जाने पर भी मील अधिकारी अभी तक टाल-मटोल कर रहे हैं :

(ख) क्या यह बात सही है कि निर्धारित समय के अनुसार वोनस इत्यादि १९४८ के नवम्बर में ही मिल जाना चाहिए था :

(ग) क्या यह बात सही है कि लेवर कमिश्नर ने इस मामले की जाँच स्वयं की है तथा रीपोर्ट भी दी हैं : यदि हाँ तो वह क्या है।

(घ) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो मध्य-वित्त श्रेणी के कर्मचारियों की कठिनाइयों को पूरा करने तथा फैसले को शीघ्रता से कार्यान्वित करने के लिए सरकार कौन सी कार्रवाई करने जा रही है ?

माननीय डा० अनुग्रहनारायण सिंह : (क) जी हाँ।

(ख) adjudicator की बात २० और २२ अक्टूबर १९४१ को शाया की गयी है। इसलिए १९४८ के नवम्बर तक payment कर देने का सवाल उठ ही नहीं सकता है। (ग + ख) जवाब 'हाँ' है। सरकार की ओर से इस पर विचार किया जा रहा है कि कैसे जल्द से जल्द फैसला adjudicator के काम में लाया जाय।

श्री जगन्नाथ सिंह : (ग) से—मैं जानना चाहता हूँ कि लेबर कमिश्नर ने सरकार के पास क्या रिपोर्ट दी है।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : लेबर कमिश्नर ने रिपोर्ट दी है कि adjudicator की award होना चाहिए।

श्री जगन्नाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या specific कार्रवाई सरकार award impliment करने के लिए करने जा रही है।

जिला कल्याण अफसरों के अधिकार।

८१। श्री शक्ति कुमार: क्या माननीय मंत्री, कल्याण विभाग, के यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—जिला कल्याण अफसरों को सरकार द्वारा कौन सा अधिकार दिया गया है तथा कौन कौन कार्य करने की अनुमति दी गई और प्रत्येक जिले में, जिला हरिजन कल्याण अफसरों ने हरिजन कल्याण के लिए कौन-कौन से कार्य किये हैं ?

माननीय श्री जगलाल चौधरी:

जिला कल्याण अफसरों को जो अधिकार तथा आदेश हरिजन कल्याण के संबंध में मिले हैं उसकी एक प्रति मेज पर रख दी गई है। इन अफसरों ने निम्नलिखित कार्य उपर्युक्त आदेशनुसार सम्पादित किये हैं:—

(१) सहयोग समितियाँ खोली गई हैं।

(२) हरिजनों और सवर्णों के बीच जो झगड़े थे, उन्हें हल किया है। नाजायज रूप से उनकी अनभिज्ञता के कारण, उनको किसी सवर्ण जाति के द्वारा सताये जाने से बचाया है।

(३) हरिजन बालक को अधिक से अधिक तायदाद में स्कूल में भर्ती कराया, हरिजन छात्रावास का निरीक्षण किया और जहाँ-जहाँ ऐसे छात्रावास की आवश्यकता समझी, उनके लिए सरकार के पास रिपोर्ट भेजी। जगह-जगह पर संकीर्त्तन पार्टी की स्थापना की। छूआछूत दूर करने के लिए, हरिजनों तथा सवर्णों को एक ही कुएँ में पानी पीने के लिये प्रबन्ध किया।

(४) हरिजनों को मादक-द्रव्य पीने से मना किया। भागलपुर में हरिजनों के लिए कई आदर्श ग्राम बनाये गये हैं।

(५) हरिजन छात्रों को स्लेट-पेंसिल, वस्त्र, आदि के लिए सरकारी खर्च से सहायता देते हैं।

श्री शक्तिकुमार : उत्तर (१) में है कि हरिजन की भलाई के लिये सहयोग समितियाँ खोली गई हैं। ये सहयोग समितियाँ कहाँ-कहाँ हैं और क्या काम कर रहीं हैं।

माननीय श्री जगलाल चौधरी : बहुत जगहों में खोली गई हैं और सहयोग समिति का जो काम है, सो सब कोइ जानते हैं। ये वहीं काम कर रहीं हैं।

श्री शक्तिकुमार : सहयोग कमिटी का क्या काम है ?

माननीय श्री जगलाल चौधरी : अगर सारा विवरण जानना चाहते हैं तो इसके लिये सूचना दीजिये और उसकी नियमावली को पढ़िये।

श्री शक्तिकुमार : उत्तर (२) से। इसमें लिखा हुआ है कि हरिजन और सवर्णों के बीच जो झगड़े थे, उन्हें हल किया है। इन दोनों को मिलाने की कोशिश की गई। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच किस तरह का झगड़ा था और हरिजन वेलफेयर औफसर इसको किस तरह सुलझाया ?

माननीय श्री जगलाल चौधरी : यदि आप सारा विवरण जानना चाहते हैं तो सूचना दीजिये।

श्री शक्तिकुमार : उत्तर (२) में लिखा हुआ है कि नाजायज रूप से उनको अनभिज्ञता के कारण, उनको किसी सवर्ण जाति के द्वारा सताये जाने से बचाया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि वे किस रूप में सताये जाते थे और वेलफेयर अफसर इस मामले में कहाँ तक सफल हुए ?

माननीय श्री जगलाल चौधरी : इतना विस्तार के लिये बिना नोटिस के जवाब नहीं दिया जा सकता है।

श्री शक्तिकुमार : उत्तर (३) में है कि हरिजन बालकों को अधिक से अधिक तादाद में स्कूल में भर्ती कराया, हरिजन छात्रावास का निरीक्षण किया, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि हरिजन छात्रावास का निरीक्षण करने का मतलब क्या है और कहाँ कहाँ ये छात्रावास खुले हैं ?

माननीय श्री जगलाल चौधरी : इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री शिवनन्दन राम : प्रश्न न० ८१ कल्याण अफसरों के अधिकार के विषय में है मगर इसका जवाब नहीं मिला है कि उनका अधिकार क्या है ?

माननीय श्री जगलाल चौधरी : हरिजनों की सेवा करना ही उनका अधिकार है।

श्री अर्जुन प्रसाद मिश्र : उत्तर (४) में है कि भागलपुर में हरिजनों के लिये कई आदर्श ग्राम बनाये गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन-कौन ग्राम हैं और इनकी संख्या क्या है ?

माननीय श्री जगलाल चौधरी : इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री रामगुलाम चौधरी : मैं जानना चाहता हूँ कि हरिजनों और सवर्णों के बीच जो झगड़े थे वे किस किस्म के थे कैसे सुलझाये गये हैं। इसके बारे में सरकार के पास जरूर कोई रिपोर्ट होगी ?

माननीय प्रमुख : यह सवाल पूछा जा चुका है और जवाब भी मिल चुका है कि इसके लिये पृथक् सूचना चाहिये।

श्री रामगुलाम चौधरी : माननीय मन्त्री तो इसके विषय में जरूर जानते होंगे।

माननीय प्रमुख : आप सूचना देंगे तो सब मालूम हो जायगा।

श्री रामगुलाम चौधरी : क्या सरकार ने कोई ऐसा सरकुलर जारी किया है जिससे हरिजन लड़के, जो हाई स्कूल या अन्य उच्च वर्गों में पढ़ते हैं उनसे स्कूल फीस ली जाय।

माननीय श्री जगलाल चौधरी : यह प्रश्न नहीं उठता है।

माननीय प्रमुख : क्यों नहीं उठता है। जब सरकार के पास रिपोर्ट भेजी गयी तो उस रिपोर्ट का क्या फल हुआ।

अगर आपके पास जवाब तैयार नहीं है तो आप इसके लिए सूचना भेजिये।

माननीय श्री जगलाल चौधरी : जी हाँ, सूचना मिलने से सब डिटेल मिल जायेगा।

श्री रामगुलाम चौधरी : हम डिटेल में जानना नहीं चाहते। हम पूछते हैं कि क्या सरकार ने ऐसा कोई सरकुलर इस प्रान्त में जारी किया है, जिसके जरिये हाई स्कूल में पढ़नेवाले हरिजन लड़कों से स्कूल फीस ली जाय।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर : सरकार ने जो काम किया है वह तो आपको बताया गया है जैसा कि 'हरिजन बालकों को अधिक से अधिक तादाद में स्कूल में भर्ती कराया हरिजन छात्रावास का निरीक्षण किया और जहाँ जहाँ ऐसे छात्रावास की आवश्यकता समझी उनके लिए सरकार के पास रिपोर्ट भेजी। जगह जगह पर संकीर्तन पार्टी की स्थापना की छुआ छुत दूर करने के लिए, हरिजनों तथा सवर्णों को एक ही कुएं में पानी पीने के लिये प्रबन्ध किया।

अब अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन स्कूल में और कितने तादाद में हरिजन लड़के भर्ती किये गये तो इसके लिये सूचना चाहिये।

हरिजनों का आर्थिक सुधार।

८२। श्री शक्ति कुमार : क्या कल्याण विभाग के माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—हरिजनों के आर्थिक सुधार के लिये कौन से कार्य किये गये हैं और उनका विवरण क्या है? अगर नहीं, तो क्या सरकार उनकी आर्थिक उन्नति के लिये आगे कोई कार्यक्रम तैयार करने का विचार कर रही है?

माननीय श्री जगलाल चौधरी :

हरिजनों के आर्थिक सुधार के लिये निम्नलिखित कार्य किये गये हैं:—

(क) खास महाल के जमीन की बन्दोबस्ती में उनकी माँग को प्रधानता दी जाती है।

(ख) नहर के किनारे की जमीन बिना डाक के ही उचित मालगुजारी पर हरिजनों तथा आसपास के गरीब गृहस्थों के साथ बन्दोबस्त की जाती है।

(ग) व्यापार में हरिजनों को उत्साहित करने के लिये एवं छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को चलाने के लिये उपर्युक्त हरिजनों को प्रति व्यक्ति ५०० रु० कर्ज देने का प्रबन्ध हुआ है। लेकिन अभी तक कानून में आवश्यक संशोधन नहीं हुआ है अतः अभी तक कर्ज नहीं दिये जा सके। विधायिका सभा की आगामी बैठक में संशोधन की स्वीकृति होगी।

(घ) जो हरिजन म्युनिसपैलिटी में काम करते हैं, उनको कर्जदारों के चंगुल से बचाने के लिये सहयोग समितियाँ बनाई गई हैं और उसका निरीक्षण सरकार के खर्च से हरिजन सेवक संघ द्वारा होता है।

(ङ) इसके अलावे उन हरिजनों को जिनने सहयोग समितियाँ तथा लोहे की चीजों के बनाने के लिये कोई रजिस्टर्ड कारखाने खोले हैं—सरकार की ओर से लोहा नियन्त्रित कीमत पर मिलने के लिये परमिट दी जाती है।

श्री शक्ति कुमार : मेरा सवाल है कि हरिजन के आर्थिक सुधार के लिये कल्याण विभाग ने कौन कौन सा काम किया है। उसका जो जवाब मिला है वह यह है कि खास महाल की जमीन हरिजनों को बन्दोबस्त की गयी है और नहर के किनारे की जमीन वगैरह